

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 4227 /आर-2635/2017/2/34


भोपाल, दिनांक 20 SEP 2017

आदेश

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2813/आर-2635/2017/2/34 दिनांक 15.06.2017 में आंशिक संशोधन हेतु तकनीकी समिति की आठवीं बैठक दिनांक 18.09.2017 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए एतद् द्वारा बंद नलजल योजनाओं के संचालन-संधारण की अवधि को 02 वर्ष से घटाकर 01 वर्ष किया जाता है। इस अवधि को अनुबंधकर्ताओं की आपसी सहमति से 02 वर्ष तक बढ़ाये जाने का प्रावधान नलजल योजनाओं की निविदाओं में किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(राजेश शाक्यवार)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक 4228 /आर-2635/2017/2/34
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 20 SEP 2017

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन, म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/
ग्वालियर/वि.यां., भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग